

न्यायालय :- श्रीमती मीना शाह, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, आमला
जिला बैतूल

दांडिक प्रकरण क :- 763/14

संस्थापन दिनांक:-29/10/14

फाईलिंग नं. 233504001622014

मध्यप्रदेश राज्य
द्वारा आरक्षी केन्द्र आमला,
जिला-बैतूल (म.प्र.)

..... **अभियोजन**

वि रू द्ध

1. चंदाबाई पति रामाधार रामटेके, उम्र 45 वर्ष
2. सुनिताबाई पति शिवशंकर काकड़े, उम्र 32 वर्ष
3. राजा पिता रामाधार रामपुरे, उम्र 22 वर्ष
सभी निवासी इन्द्रा नगर शंकर मंदिर के सामने बोड़खी,
थाना आमला, जिला बैतूल (म.प्र.)

.....**अभियुक्तगण**

:- (नि र्ण य) :-

(आज दिनांक 12.03.2018 को घोषित)

1 प्रकरण में अभियुक्तगण के विरुद्ध धारा 294, 323/34, 506 भाग-दो भा०दं०सं० के अंतर्गत इस आशय के आरोप है कि उन्होंने दिनांक 14.10.2014 को समय दोपहर 02:00 बजे या उसके लगभग बिजली ऑफिस के पास आमला थाना आमला जिला बैतूल के अंतर्गत लोक स्थान या उसके समीप अश्लील शब्द उच्चारित किए जिससे फरियादी छाया बेले और अन्य को क्षोभ कारित किया एवं फरियादी छाया बेले को स्वेच्छया उपहति कारित करने का आशय बनाया और उसकी पूर्ति में फरियादी छाया बेले को हाथ थप्पड़ से मारपीट कर स्वेच्छया साधारण उपहति कारित की तथा को जान से मारने की धमकी देकर आपराधिक अभित्रास कारित किया।

2 अभियोजन का प्रकरण इस प्रकार है कि फरियादी दिनांक 14.10.2014 को दोपहर करीब 2 बजे अपने घर के पीछे की लकड़ी उठा रही थी। तभी अभियुक्तगण वहां आये और उसे लकड़ी मत उठाओ यहां लकड़ी मत रखना कहकर मां बहन छिनाल की गंदी गंदी गालियां दी। फरियादी द्वारा अभियुक्तगण को गाली देने से मना करने पर अभियुक्तगण ने उसके बाल पकड़कर हाथ मुक्के से मारपीट की। मारपीट से उसे दांहिने हाथ, कलाई, बांये हाथ के पंजे पर चोट लगी। अभियुक्तगण ने उसे जान से खत्म करने की धमकी भी दी। फरियादी की रिपोर्ट के आधार पर अभियुक्तगण के विरुद्ध थाना आमला में अपराध क्र. 846/14 पंजीबद्ध किया गया। विवेचना के दौरान मौका नक्शा बनाया गया एवं साक्षियों के कथन लेखबद्ध किये गये। फरियादी का चिकित्सकीय परीक्षण करवाया गया। अभियुक्तगण को गिरफ्तार कर गिरफ्तारी पत्रक बनाये गये। विवेचना पूर्ण कर अभियोग पत्र न्यायालय में पेश किया गया।

3 अभियुक्तगण द्वारा निर्णय की कंडिका क्रं-1 में उल्लेखित अपराध किया जाना अस्वीकार कर विचारण चाहा गया तथा धारा 313 द.प्र.सं. के अंतर्गत किये गये अभियुक्त परीक्षण में उनका कहना है कि वे निर्दोष हैं और उन्हें झूठा फंसाया गया है।

4 न्यायालय के समक्ष निम्न विचारणीय प्रश्न यह हैं :-

1. क्या घटना के समय अभियुक्तगण ने फरियादी को अश्लील शब्द उच्चारित किये थे ?
2. क्या अश्लील शब्दों का उच्चारण लोक स्थान अथवा उसके समीप किया गया था ?
3. क्या इससे उसे एवं अन्य सुनने वालों को क्षोभ कारित हुआ था ?
4. क्या घटना के समय अभियुक्तगण ने फरियादी छाया के साथ मारपीट करने का सामान्य आशय निर्मित किया ?
5. क्या घटना के समय अभियुक्तगण ने सामान्य आशय की पूर्ति में फरियादी छायाबाई को हाथ थप्पड़ से मारपीट कर स्वेच्छया उपहति कारित की ?
6. क्या अभियुक्तगण द्वारा ऐसा गंभीर व अचानक प्रकोपन से अन्यथा स्वेच्छया किया गया ?
7. क्या अभियुक्तगण ने फरियादी को संत्रास कारित करने के आशय से जान से मारने की धमकी देकर उसे आपराधिक अभित्रास कारित किया था ?
8. निष्कर्ष एवं दंडादेश, यदि कोई हो तो ?

॥ विश्लेषण एवं निष्कर्ष के आधार ॥

विचारणीय प्रश्न क. 01, 02, 03 एवं 07 का निराकरण

5 छायाबाई (अ.सा.-1) ने अपने न्यायालयीन परीक्षण में यह प्रकट किया है कि घटना के समय अभियुक्तगण ने उसे गंदी गंदी गालियां दी थी। इस संबंध में वीरेंद्र (अ.सा.-4) ने व्यक्त किया है कि घटना के समय अभियुक्तगण छायाबाई को गली गलौच कर रहे थे। इसके अतिरिक्त अन्य किसी अभियोजन साक्षी ने अभियुक्तगण द्वारा फरियादी को अश्लील शब्द उच्चारित कर क्षोभ कारित करने के संबंध में कोई कथन नहीं किये हैं।

6 फरियादी छायाबाई (अ.सा.-1) ने अपने न्यायालयीन कथनों में अभियुक्तगण द्वारा उसे घटना के समय गंदी गंदी गालियां दिये जाने के संबंध में कथन किये हैं परंतु साक्षी ने स्पष्ट रूप से यह प्रकट नहीं किया है कि अभियुक्तगण द्वारा किन-किन शब्दों का उच्चारण किया गया था। अतः अभिलेख पर ऐसे शब्दों के

अभाव में उनके प्रभाव का निर्धारण नहीं किया जा सकता। इस संबंध में न्याय दृष्टांत बंशी विरुद्ध रामकिशन 1997 (2) डब्ल्यू.एन. 224 अवलोकनीय है जिसमें प्रतिपादित विधि अनुसार केवल गालियां दी जाना इस अपराध को घटित करने के लिए पर्याप्त नहीं है। फलतः धारा 294 भा.दं.सं. का अपराध प्रमाणित नहीं माना जा सकता।

7 अभियुक्तगण द्वारा घटना के समय फरियादी को जान से मारने की धमकी देकर आपराधिक अभित्रास कारित करने के संबंध में किसी भी अभियोजन साक्षी ने उनके न्यायालयीन कथनों में कोई कथन प्रकट नहीं किये हैं। अतः साक्ष्य के नितांत अभाव में अभियुक्तगण के विरुद्ध धारा 506 भाग-2 भा०दं०सं० का आरोप प्रमाणित नहीं माना जा सकता।

विचारणीय प्रश्न क. 04, 05 एवं 06 का निराकरण

8 छायाबाई (अ.सा.-1) ने मुख्य परीक्षण में यह बताया है कि अभियुक्तगण ने उसके साथ मारपीट की जिससे उसके सिर में चोट आयी थी। उसे घसीट दिया था जिससे उसके सीधे हाथ की बांह में चोट आयी थी। विरेंद्र (अ. सा.-4) ने मुख्य परीक्षण में यह बताया है कि अभियुक्तगण ने फरियादी को एक पत्थर फेंककर मारपीट की थी।

9 डॉ. एन.के. रोहित (अ.सा.-5) ने अपने न्यायालयीन परीक्षण में दिनांक 14.10.2014 को सीएचसी आमला में मेडिकल आफिसर के पद पर पदस्थ रहते हुए उक्त दिनांक को आहत छायाबाई का मेडिकल परीक्षण करने पर आहत की दाहिनी कलाई के जोड़ पर 2 गुणा 1 गुणा 1 सेमी. आकार की खरोच पाई थी। साक्षी ने आहत को आयी चोट कड़े एवं बोथरे हथियार से पहुंचायी जाना प्रकट करते हुए उसके द्वारा दी गयी एमएलसी रिपोर्ट (प्रदर्श पी-7) को प्रमाणित किया है।

10 गोविंदराव कोलेकर (अ.सा.-3) ने अपने न्यायालयीन परीक्षण में दिनांक 15.10.2014 को थाना आमला में प्रधान आरक्षक के पद पर पदस्थ रहते हुए अपराध क्र. 846/14 की केस डायरी विवेचना हेतु प्राप्त होने पर फरियादी छाया बेले की निशादेही पर घटना स्थल का मौका नक्शा (प्रदर्श पी-2) तथा दिनांक 16.10.2014 को अभियुक्तगण को गिरफ्तार कर प्रदर्श पी-4, प्रदर्श पी-5, प्रदर्श पी-6 के गिरफ्तारी पत्रक तैयार किया जाना प्रकट करते हुए उपर्युक्त दस्तावेजों को प्रमाणित किया है।

11 बचाव अधिवक्ता का तर्क है कि प्रकरण में किसी स्वतंत्र साक्षी ने घटना का समर्थन नहीं किया है। फरियादी ने अभियोजन कथा के अनुरूप न्यायालय में कथन नहीं किये हैं जिससे अभियोजन कथा में संदेह उत्पन्न होता है जिसका लाभ अभियुक्तगण को दिया जाना चाहिए। जबकि अभियोजन अधिकारी ने अभियोजन का मामला युक्तियुक्त संदेह से परे स्थापित होने का तर्क प्रकट किया है।

12 बचाव अधिवक्ता के तर्क के परिप्रेक्ष्य में स्वतंत्र साक्षी विजय (अ.सा.-2) ने अभियोजन का किंचित मात्र समर्थन नहीं किया है। साक्षी से अभियोजन अधिकारी द्वारा प्रतिपरीक्षण में पूछे जाने वाले प्रश्न पूछे जाने पर भी साक्षी ने अभियोजन के समर्थन में कोई भी तथ्य प्रकट नहीं किये हैं। अतः अभियोजन को उपर्युक्त साक्षी की साक्ष्य से कोई भी सहायता प्राप्त नहीं होती है।

13 विरेंद्र (अ.सा.-4) ने मुख्य परीक्षण में यह बताया है कि घटना शाम के समय की है। वह फरियादी के घर गया था तब उसने देखा कि अभियुक्तगण ने मकान की बात पर से फरियादी को ईंट, पत्थर फेंककर मारपीट की थी। छाया (अ.सा.-1) ने यह बताया है कि घटना दिन में 11-12 बजे की थी। अभियुक्तगण घर पर निर्माण कार्य कर रहे थे। उनका निर्माण कार्य उसके घर की दीवार तक आ गया था तब उसने अभियुक्तगण से कहा कि इतना आगे बढ़कर निर्माण कार्य क्यों कर रहे हो इस बात पर अभियुक्तगण ने उसके घर की लकड़ियां फेंक दी और उसके साथ मारपीट की जिससे उसके सिर में चोट आयी थी। उसे घसीट दिया था।

14 विरेंद्र (अ.सा.-4) ने प्रतिपरीक्षण में यह बताया है कि घटना शाम 6 बजे की थी। अभियुक्तगण ने फरियादी के मकान का पीछला भाग तोड़ दिया था और इसके बाद फरियादी को ईंट, पत्थर फेंककर मारपीट की थी। छाया (अ.सा.-1) ने प्रतिपरीक्षण में यह बताया है कि अभियुक्तगण का उससे जमीन को लेकर विवाद है। फरियादी ने बचाव अधिवक्ता के इस सुझाव को गलत बताया है कि अभियुक्तगण मौके पर उपस्थित नहीं थे और उन्होंने कोई मारपीट नहीं की थी। साक्षी ने यह बताया है कि घटना के समय उसके पति घर पर नहीं थे। किसी ने भी घटना में बीच बचाव नहीं किया था और न ही किसी ने घटना देखा था। झगड़ा उसके घर के अंदर हुआ था।

15 प्रथम सूचना रिपोर्ट अनुसार घटना विजय एवं विरेंद्र के द्वारा देखी गयी एवं लकड़ी रखने की बात पर से विवाद होना प्रकट हो रहा है। जबकि न्यायालयीन कथन में फरियादी ने मकान निर्माण उसके घर की तरफ बढ़ाकर कर लिये जाने पर विवाद होना बताया है। साथ ही फरियादी ने घटना किसी के भी द्वारा न देखा जाना और न ही बीच बचाव करना बताया है। अभियोजन कथा अनुसार चक्षुदर्शी साक्षी विरेंद्र (अ.सा.-4) ने घटना शाम के समय की बतायी है। जबकि घटना दोपहर 2 बजे की है। साथ ही विरेंद्र ने फरियादी को ईंट, पत्थर फेंककर मारपीट करना बताया है। जबकि स्वयं फरियादी ने अभियुक्तगण द्वारा उसे लकड़ी से मारपीट करना बताया है। इसके विपरीत प्रथम सूचना रिपोर्ट में अभियुक्तगण द्वारा हाथ मुक्कों से मारपीट किया जाना लेख है। प्रकरण में फरियादी ने मारपीट से सिर, बांह में चोट आना बताया है। जबकि साक्षी के चिकित्सकीय परीक्षण में मात्र उसकी दाहिनी कलाई में एक खरोच पायी गयी है। यदि तीन लोग किसी एक व्यक्ति के साथ मारपीट करे और उसे मात्र खरोचनुमा चोट आये यह अत्यन्त ही अस्वाभाविक है। इस प्रकार प्रकरण में फरियादी छाया (अ.सा.-1) की साक्ष्य एवं साक्षी विरेंद्र के कथनों में पर्याप्त विरोधाभास है। फरियादी की साक्ष्य चिकित्सकीय साक्ष्य से भी समर्थित नहीं है। फरियादी ने अभियोजन कथा के अनुरूप भी न्यायालय में कथन

नहीं किये हैं। न्यायालयीन कथन में फरियादी ने घटना का प्रारंभ मकान निर्माण पर विवाद होने से बताया है जबकि प्रथम सूचना रिपोर्ट अनुसार लकड़ी रखने की बात पर से विवाद होना प्रकट हो रहा है। ऐसी परिस्थितियों में अभियोजन कथा अत्यन्त संदेहास्पद हो जाती है जिसका लाभ अभियुक्तगण को दिया जाना उचित प्रतीत होता है।

विचारणीय प्रश्न क. 08 का निराकरण

16 उपरोक्तानुसार की गयी साक्ष्य विवेचना से अभियोजन युक्तियुक्त संदेह से परे यह प्रमाणित करने में असफल रहा है कि अभियुक्तगण ने घटना दिनांक, समय व स्थान पर लोक स्थान या उसके समीप अश्लील शब्द उच्चारित किए जिससे फरियादी छाया बेले और अन्य को क्षोभ कारित किया एवं फरियादी छाया बेले को स्वेच्छया उपहति कारित करने का आशय बनाया और उसकी पूर्ति में फरियादी छाया बेले को हाथ थप्पड़ से मारपीट कर स्वेच्छया साधारण उपहति कारित की तथा को जान से मारने की धमकी देकर आपराधिक अभित्रास कारित किया। फलतः अभियुक्तगण चंदाबाई, सुनिताबाई एवं राजा को भारतीय दंड संहिता की धारा 294, 323/34, 506 भाग-दो के आरोप से दोषमुक्त घोषित किया जाता है।

17 अभियुक्तगण पूर्व से जमानत पर हैं। अभियुक्तगण द्वारा न्यायालय में उपस्थिति बावत् प्रस्तुत जमानत व मुचलके भारमुक्त किये जाते हैं।

18 अभियुक्तगण द्वारा अन्वेषण एवं विचारण के दौरान अभिरक्षा में बिताई गई अवधि के संबंध में धारा 428 द.प्र.स. के अंतर्गत प्रमाण पत्र बनाया जावे।

निर्णय खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित
तथा दिनांकित कर घोषित ।

मेरे निर्देशन पर मुद्रलिखित ।

(श्रीमती मीना शाह)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
आमला, बैतूल (म.प्र.)

(श्रीमती मीना शाह)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
आमला, बैतूल (म.प्र.)